

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक:- 92

दिनांक:- 07-11-25

प्रशासनिक स्वीकृति

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक: एफ.8(30)आ.प्र. एवं सहा. / प्रस्ताव/बाढ़/2025/RAJKAJ Ref No. 18656173 दिनांक: 06.11.2025 के अनुसार प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित किये गये जल संसाधन विभाग, खण्ड बून्दी के उपखण्ड इन्द्रगढ़ के 01 कार्य की तात्कालिक मरम्मत हेतु नीचे अंकित शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उक्त स्वीकृति बजट मद 2245-02-122-02-01-21 से जारी की जाती है :-

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति (बांध/नहर/अन्य) का नाम	क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ति का विवरण	स्कीम का विवरण मय लोकेशन	क्षति का मुख्य कारण	अस्थाई पुनर्स्थापन हेतु स्वीकृत राशि (लाखों में)	Restoration हेतु चिह्नित कार्यकारी एजेन्सी	Restoration हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम पदनाम एवं फोन नं०	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	इन्द्रगढ़	घाकन लघु सिंचाई एवं नहरी तंत्र	घाकन लघु सिंचाई परियोजना	घाकन मुख्य नहर एवं माइनर नंबर 1 व माइनर नंबर 2	अतिवृष्टि	2.00	जल संसाधन विभाग	अधिशायी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड बून्दी मो० न० 9660032309	-
				कुल योग		2.00			

उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- स्वीकृतियों की राज्य आपदा मोचन निधि एसडीआरएफ के मापदण्डों का अक्षरशः पालन किया जावेगा।
- कार्यकारी एजेन्सी कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावे तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे, ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
- यह सन्तुष्टि कर लेये कि प्रस्तावित नहर/बांध का उपयोग सिंचाई/पेयजल कार्यों एवं जन सेवाओं के लिए निरन्तर लिया जा रहा है।
- सम्बन्धित विभाग यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके पास उपलब्ध संधारण एवं मरम्मत मद में से राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ का उपयोग लिया जायेगा।
- वे कार्य जो डिफेक्ट लाईबिलिटी समय के तहत आते हैं, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
- आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
- केवल तात्कालिक प्रकृति की मरम्मत एवं पुनरुत्थान के कार्य ही करवाये जावे, जो एसडीआरएफ नोर्स में दिये गये प्रावधान अनुसार हो एवं कोई भी नव-निर्माण कार्य शामिल नहीं किया जावे।
- उपखण्ड स्तरीय समिति के सदस्यों द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का भौतिक निरीक्षण किये जाने के उपरान्त ही जल संसाधन विभाग के कार्यों की स्वीकृति जारी की जावे।
- स्वीकृत कार्यों के संबंध में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्संबंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- कार्य उपरान्त उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवे कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया गया है।
- कार्य पूर्ण करवाये जाने पश्चात करवाये गये कार्यों का कार्य पूर्णता: प्रमाण-पत्र एवं प्रमाणित बिल संबंधित कार्यकारी एजेन्सी जांच उपरान्त भुगतान की अनुशंसा सहित इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

(अक्षय गोदारा)

जिला कलक्टर, बून्दी

दिनांक:- 07-11-25

क्रमांक:-सहायता/2025/3378-96

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
- उपखण्ड अधिकारी बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/लाखेरी/केशोरायपाटन/तालेडा
- अधिशायी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, खण्ड बून्दी
- तहसीलदार बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/रायथल/इन्द्रगढ़/के०पाटन/तालेडा
- आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर, बून्दी

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Aay Godara
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.11.07 18:42:40 IST
Reason: Approved



RajKaj Ref No.:
18703924